**दिनांक 22.09.2021 को अपर मुख्य सचिव–सह–विकास आयुक्त,झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में झारखण्ड के विभिन्न औद्योगिक नीतियों के प्रावधानों के तहत औद्योगिक इकाइयों को SGST भुगतान के संबंध में बैठक की कार्यवाहीः–**

उपस्थितिः–

1. श्री अरूण कुमार सिह,
   अपर मुख्य सचिव–सह–विकास आायुक्त,
   झारखण्ड,राँची
2. श्री अजय कुमार सिंह,
   प्रधान सचिव,वित्त विभाग, झारखण्ड,राँची
3. श्रीमती आराधना पटनायक,
   सचिव,वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड,राँची
4. श्रीमती पूजा सिंघल,
   सचिव,उद्योग विभाग, झारखण्ड,राँची
5. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह,
   निदेशक,उद्योग, झारखण्ड,राँची

**बैठक की कार्यवाहीः–**

सर्वप्रथम सचिव उद्योग एवं निदेशक उद्योग द्वारा दिनांक 20.07.2021 को उक्त विषय पर आयोजित हुई बैठक के क्रम में झारखण्ड के विभिन्न औद्योगिक नीतियों के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को SGST भुगतान के संबंध में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया।

1. झारखण्ड के विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा किए गए संशोधन के क्रम में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को SGST का भुगतान जुलाई 2017 से लंबित है।

   SGST के लंबित भुगतान के समाधान हेतु उद्योग विभाग के आदेश सं0 393 दिनांक 08.02.2021 द्वारा वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग एवं उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों की एक कमिटि गठित की गई। गठित त्रि–सदस्यीय कमिटि द्वारा प्रथम बैठक दिनांक 24.03.2021, द्वितीय बैठक दिनांक 30.03.2021 तथा तृतीय बैठक 06.04.2021 को की गई, जिसमें Net SGST में गणना से संबंधित तथा अन्य राज्यों के मॉडल को अध्ययन किया गया तथा समीक्षोपरांत प्रतिवेदित किया गया, कि SGST के भुगतान हेतु उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाना श्रेस्कर होगा।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 20.07.2021.को अपर मुख्य सचिव–सह–विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें वाणिज्यकर विभाग को निदेश दिया गया कि विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंर्तगत संबंधित औद्योगिक इकाईयों के लंबित SGST भुगतान की समीक्षा कर अगले बैठक में स्थिति से अवगत कराया जाय।

3. उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक–512 दिनांक–07.03.2019 द्वारा Goods and Service Tax Act लागु होने के उपरांत झारखंण्ड औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति–2016 के कंडिका 7.5 में उपकंडिका (aa) Incentive on GST सम्मिलित किया गया है, जिसकी कंडिका (i) (ii) (iii) (iv) में "State GST Paid on intra-state supply subject to the tax realization in the state government treasury" पुर्नसंशोधित किया गया। पुनः कंडिका 7.5 में उपकंडिका (aa) (v) निम्नवत् सम्मिलित किया गया है–

(aa) (v) Explanation – Actual realization in the State treasury means the goods supplied by the industrial unit and finally consumed within the state and SGST paid thereof realized in the state treasury. If any ITC is claimed on the goods supplied by the unit or by any subsequent taxable person in any manner whatsoever e.g. ITC inter-state supply, then SGST paid on such goods shall not be eligible for re-imbursement.

4. उक्त के आलोक में दिनांक 22.09.2021 को आयोजित बैठक में सचिव, वाणिज्यकर विभाग के द्वारा बताया गया कि औद्योगिक इकाइयों को SGST भुगतान करने हेतु वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड के द्वारा औद्योगिक नीति–2016 के प्रावधानों के अनुरूप ही मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर लिया गया है तथा सभी औद्योगिक इकाईयों को 2016 औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुरूप ही इस SOP के अनुसार SGST का भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही कमिटि को यह भी अवगत कराया कि सभी जिला के संबंधित पदाधिकारियों को SOP से संबंधित प्रशिक्षण भी दे दिया गया है।

कमिटि द्वारा विचारोपरांत निम्न निर्णय लिए गयेः–

i) झारखण्ड के विभिन्न औद्योगिक नीतियों के प्रावधानों के तहत SGST के भुगतान हेतु वाणिज्यकर विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत औद्योगिक इकाईयों को प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

ii) वाणिज्यकर विभाग द्वारा SGST के भुगतान हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर उद्योग विभाग SGST के Reimbursement हेतु सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई करेगा।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| सचिव<br>उद्योग विभाग,<br>झारखण्ड | सचिव<br>वाणिज्यकर विभाग,<br>झारखण्ड | प्रधान सचिव<br>वित्त विभाग,<br>झारखण्ड | 26.10.21<br>अपर मुख्य सचिव–सह–<br>विकास आयुक्त,<br>झारखण्ड |